Check on police atrocities

568. SHRI VIREN J. SHAH :

SHRI PRAMOD MAHAJAN :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the Indian Express of 12th April, 1992 under the caption "SC should monitor custodial deaths";

(b) if so, whether the Supreme Court judges *suo moto* monitor reports published in newspapers on police atrocities, custodial deaths and torture of poor men, women and children;

(c) whether the Supreme Court have issued or propose to issue any directions/ guidelines to the High Courts to set up special cells to deal with such cases to ensure that the basic rights of poor men, women and children are preserved;

(d) if so, what are the details in this regard; and

(e) what steps Government have taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e) The Supreme Court of India is an independent authority under the Constitution. What action, if any, it would take on newspaper suggestions is for the Court itself to decide. The Government have no say in this matter. It may, however, be mentioned that the Supreme Court has established guidelines, dated 1-12-88, regulating entertaining of a wide variety of Public Interest Litigation including complaints of death in police custody, neglected children, artrocities on women, bonded labour, etc. The All India Chief Justices Conference in their resolution dated 1-9-91 have also decided to follow the Supreme Court guidelines.

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

569. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1990 में उच्च न्यायालयों के वकीलों ने यह आरोप लगाया था कि न्यायाधीश खुले आम रिश्वत ले रहे हैं और क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं ;

(ख) क्या सरकार न्यायपालिका की गरिमा को बनाये रखने के लिए उपाय कर रही है ताकि न्यायालय पक्षपात और भ्रष्टाचार से मुक्त रहें; और

(ग) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि किसी राज्य के निवासियों को अपने राज्य का न्यायाधीश नियुक्त न किया जाये और तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् उन्हें अनिवार्य रूप से स्थानांतरित कर दिया जाये, यदि हां, इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) कभी-कभी, न्यायपालिका के कुछ सदस्यों के विरुद्ध साधारण जनता द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं । इन शिकायतों को सम्बन्धित मुख्य न्यायमूर्तियों को भेज दिया जाता है । अपनी सांविधानिक प्रणाली में न्यायपालिका की विशेष स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार है कि न्यायपालिका स्वयं ऐसे आरोपों की जांच करे । इनके बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्याय मूर्तियों के तारीख 31 अगस्त और 1 तथा 3 सितम्बर, 1990 को हुए संयुक्त सम्मेलन में उक्त सम्मेलन द्वारा एक प्रक्रिया विनिश्चित